प्र.क. R PBR / 2016

प्रस्तुति दिनांक / 04 / 2016

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर

कैम्प इन्दौर

कैलाशचंद्र पिता गणेशलाल शर्मा

निवासी – 12, जवाहर मार्ग, राजगढ़

जिला धार म.प्र. ....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति राजगढ़

तह. सरदापुर जिला धार

2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी,

नगर पालिका राजगढ़

तह. सरदारपुर जिला धार म.प्र. .... विपक्षीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959

महोदय,

उपरोक्त प्रकरण में निगरानीकर्ता तर्फे सादर निवेदन है कि,

इसमें अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा प्र.क. 211 / अपील / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 01.03.2016 से व्यथित व असंतुष्ट होकर निगरानीकर्ता द्वारा इस माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1086—पीबीआर/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14—12—2017	आवेदक की ओर से श्री टी0टी0गुप्ता अधिवक्ता उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में तीनों न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है। प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1971—72 से अधिकार अभिलेख में कृषि उपज मंडी समिति के नाम है । अतः धारा 115—116 में कार्यवाही नहीं की जा सकती है । इस संबंध में अपर आयुक्त का निष्कर्ष सही है । अतः निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	